कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), कौलागढ़ उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-111/2017-18/

दिनांक : /02/2018

सेवा में,

जिला वकास अ धकारी,

जनपद- चमोली

वषय :जिला वकास अ धकारी, चमोली का वर्ष 02/2017 से 11/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 03 प्रस्तर तथा STAN मे 02 प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या स चव, ग्राम्य वकास उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 111/2017-18/ दिनांक: /02/2018

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- आयुक्त ग्राम्य वकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।

2- मुख्य वकास अ धकारी, चमोली, जनपद- चमोली ।

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 111 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला वकास अ धकारी, चमोली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-I

1- परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एल.एस. लंगवाल, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री नित्यानन्द संह, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री राजवेश भट्ट, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27/02/2017 से 06/03/2017 तक श्री टी.एस.नेगी, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 01/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2. इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

1. उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या :-
2. उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्या :-192
3. भौगो लक क्षेत्र:
4. जनसंख्या:-102033
5. निर्वा चत सदस्यों की संख्या:-40
6. पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या:-04
7. उपस मतियों, स्थायी स मतियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-06
8. कर्मचारियों की संख्या: -21
9. पंचायतराज की संप त्तयाँ:-
10. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट:-
11. योजनाओं की संख्या:-
12. (अ) सामाजिक संरक्षा:-
    (ब) रोजगार सृजन से संबन्धितः-
    (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:-
    (द) लाभा र्थयों की संख्या :-
13. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया रा श:-
14. वर्ष के दौरान कुल व्यय
    (अ) सामान्य :-
    (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |
15. क्या वा र्षक योजनाओं एवं बजट पर निर्वा चत निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित कया गया :-

2(ii)(अ)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य	बचत	आ धक्य	बचत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2015-16	0	1613.57	197.60	197.60	1271.23	1360.10	0	0	1524.70	0
2016-17	0	1524.70	149.80	149.80	10105.99	10556.15	0	0	1374.54	0
2017-18	0	1374.54	157.55	105.06	5963.97	5778.55	52.49	0	1559.96	0

भाग 2(ii)(ख)

केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-					
वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष
2015-16	मनरेगा	0.10	9385.35	9385.35	5.42
2016-17 नवम्बर तक	मनरेगा	5.42	5091.94	5091.94	6.63

कार्यालय जिला विकास अधिकारी चमोली।

वर्ष 2016–17 का आय व्ययक विवरण

क्र0स0	मद का नाम	पूर्व का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	विधायक निधि	115044000	82500000	197544000	85199000	112345000
2	मनरेगा	10982	938535370	938546352	938004172	542180
3	राज्य ऋण सहअनुदान	0	205605	205605	0	205605
4	ग्राम तालाब योजना	0	1000000	1000000	1000000	0
5	जिला योजना – सामुदायिक विकास कार्यक्रम	0	5669000	5669000	5669000	0
6	एकल ग्राम पेंयजल योजना	1787250	1189900	2977150	1189900	1787250
7	मेरा गांव मेंरी सडक	33003000	11375000	44378000	23705000	20673000
8	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास येाजना	2625500	0	2625500	828500	1797000
9	राष्ट्रीय वायोगैस विकास कार्य(मि	0	124500	124500	20000	104500
	योग	152470732	1040599375	1193070107	1055615572	137454535

कार्यालय जिला विकास अधिकारी चमोली।

वर्ष 2017–18 का आय व्ययक विवरण दिनांक नवम्बर 2017तक

क्र0स0	मद का नाम	पूर्व का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	विधायक निधि	112345000	82500000	194845000	44377000	150468000
2	मनरेगा	542180	509194483	509736663	509073204	663459
3	राज्य ऋण सहअनुदान	205605	0	205605	200000	5605
4	ग्राम तालाब योजना	0	0	0	0	0
5	जिला योजना – सामुदायिक विकास कार्यक्रम	0	4703000	4703000	4703000	0
6	एकल ग्राम पेंयजल योजना	1787250	0	1787250	1454000	333250
7	मेरा गांव मेंरी सडक	20673000	0	20673000	16786000	3887000
8	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास येाजना	1797000	0	1797000	1158000	639000
9	राष्ट्रीय वायोगैस विकास कार्य(मि	104500	0	104500	104500	0
	योग	137454535	596397483	733852018	577855704	155996314

भाग 2(ब)

प्रस्तर-1 वधायक नि ध के अन्तर्गत धनरा श ` 151.61 लाख का निष्फल व्यय।

वधायक नि ध योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सद्धान्तों के पैरा 2.4 के अनुसार, कार्यों की प्रकृति के अनुसार कभी कभी कार्यो के निष्पादन में एक वर्ष से अ धक का समय लग सकता है।

जिला वकास अ धकारी, चमोली के अ भलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया क पूर्ववर्ती वधायक नि ध (वर्ष 2007-08 से 2011-12) के 201 कार्य जिन पर वभाग द्वारा रुपये 151.56 लाख का व्यय कया गया था, सम्प्रेक्षा ति थ (दिसम्बर 2017) तक लम्बित थे। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा इन कार्यों के फोटोग्राफ व माप की प्रति जिला वकास कार्यालय को प्रस्तुत न कये जाने के कारण इन कार्यों की अन्तिम कस्त (स्वीकृति रा श का 25%) अवमुक्त नही की गयी थी। मुख्य वकास अ धकारी द्वारा वधायक नि ध सम्बन्धी समीक्षा बैठक के दौरान सम्बन्धित कनिष्ठ अ भयन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया था क वर्तमान में कार्यों की स्थिति ठीक न होने के कारण कार्यों की माप कया जाना संभव नहीं है। पूर्ववर्ती वधायक नि ध के उक्त अपूर्ण कार्यों का ठीक वर्षवार ववरण निम्नवत् था -

वधायक का नाम	वत्तीय वर्ष	कार्यो की कुल संख्या	कार्यो पर कया गया व्यय (धनरा श रु. लाख में)
श्री अनिल नौटियाल	2007-08 2008-09	11 11	6.69 3.89
श्री गो वन्द लाल	2008-09	03	2.62
श्री अनिल नौटियाल	2009-10	16	15.35
श्री केदार संह फोनिया	2009-10	02	4.68
श्री राजेन्द्र संह भण्डारी	2009-10	14	7.60
श्री गो वन्द लाल	2009-10	04	4.49
श्री अनिल नौटियाल	2010-11	11	7.05
श्री केदार संह फोनिया	2010-11	05	9.37
श्री गो वन्द लाल	2010-11	02	2.62
श्री अनिल नौटियाल	2011-12	16	11.90
श्री केदार संह फोनिया	2011-12	15	15.04
श्री राजेन्द्र संह भण्डारी	2011-12	73	41.20
श्री गो वन्द लाल	2011-12	18	19.11
योग		201	151.61

उक्त समस्त कार्यों हेतु प्रथम कस्त (75%) नवम्बर 2014 से पूर्व अवमुक्त कर दी गयी थी तथा इन कार्यो को धन अवमुक्त के 03 से 06 माह के अन्तर्गत पूर्ण कराया जाना था। चूँ क व भन्न कार्यो की तात्का लकता व स्थानीय वकास के दृष्टिगत वधायक नि ध योजना को प्रारम्भ कया गया था, बावजूद इसके उक्त कार्यो को धन अवमुक्ति के तीन वर्षो से भी अ धक अव ध से पूर्ण नही कया जा सका। परिणामस्वरुप न केवल स्थानीय जनता को योजना का लाभ प्राप्त हो सका अ पतु योजना उद्देश्यों की अनदेखी हुई तथा योजनान्तर्गत व भन्न कार्यों पर कया गया ` 151.61 लाख का व्यय भी निष्फल रहा।

इं गत कये जाने पर जिला वकास कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया क भौगो लक परिस्थितियों, टोलीनायकों की उदासीनता व कार्यों के समय से मूल्यांकन व मापांकन न होने के कारण कार्यों को समय से पूर्ण नही कराया जा सका। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही था क्यों क कार्यो का समय से मापांकन व मूल्यांकन तथा टोलीनायकों से कार्य कराने का दायित्व वभाग का था।

अतः धनरा श ` 151.61 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग 2(ब)

प्रस्तर-2 धनरा श ` 95.50 लाख का अनावश्यक अवरोधन।

शासनादेश सं. 602/xii(i)/2017-86(26)2017 दिनांक 4 मई 2017 के अनुसार, धनरा श का अनावश्यक अवरोधन सं वधान के अनुच्छेद-283(2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा बनाए गये कोषागार नियम-9 तथा वत्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-21 व 22-बी के वपरीत है।

जिला वकास अ धकारी, चमोली के अ भलेखों की जांच में संज्ञान में आया क पूर्ववर्ती वधायक नि ध (वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 तक) की 109 योजनाये जिनकी स्वीकृति रा श रुपये 95.50 लाख थी, सम्प्रेक्षा ति थ (दिसम्बर 2017) तक अनारम्भ थी। योजनाओं का वर्षवार ववरण निम्नवत् था।

वत्तीय वर्ष	तत्कालीन वधायक का नाम	अनारम्भ योजनाओं की संख्या	अनारम्भ योजनाओं हेतु स्वीकृत रा श (रु. लाख में)
2007-08	श्री राजेन्द्र संह भण्डारी	03	1.95
2008-09	श्री अनिल नौटियाल	04	2.25
2009-10	श्री राजेन्द्र भण्डारी	10	7.15
	श्री फोनिया जी	02	1.15
	श्री अनिल नौटियाल	02	1.70
2010-11	श्री फोनिया जी	04	10.90
	श्री अनिल नौटियाल	20	19.80
2011-12	श्री राजेन्द्र भण्डारी	31	24.70
	श्री फोनिया जी	06	4.00
	श्री अनिल नौटियाल	27	21.90
	योग	109	95.50

वधायक नि ध प्रगति ववरणानुसार इन योजनाओं के निष्पादन हेतु वभाग के पास मार्च 2012 के पूर्व से ही धनरा श उपलब्ध थी, बावजूद इसके वभाग द्वारा वगत पांच से भी अ धक वर्षो से न तो योजनाओं को प्रारम्भ कराया जा सका, न ही शासकीय निर्देशानुसार

योजनाओं की स्वीकृति रा श को कोषागार में जमा कया गया। इस प्रकार वभाग द्वारा ` 95.50 लाख की रा श को वगत पांच से भी अ धक वर्षों से अवरो धत रखा गया।

इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्यों क अनारम्भ कार्यों की स्वीकृति रा श को इतनी लम्बी अव ध तक अवरो धत रखा जाना औ चत्यपूर्ण नहीं था। अवशेष/बचत रा श को शासकीय निर्देशानुसार पूर्व मे ही राजकोष में जमा कया जाना चाहिए था।

अतः धनरा श ` 95.50 लाख के अनावश्यक अवरोधन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 3- वधायक नि ध खाते लेखाशीर्ष-8448 ''स्थानीय नि धयों की जमा'' में अन्य वभागों/मदों की धनरा श ` 13.69 करोड़ का नियम वरुद्द रख रखाव ।

शासन के पत्र संख्या 121/xxvii(14)/2013 दिनांक 12 जुलाई 2013 के अनुसार, वधायक वकास नि ध का संचालन लेखा शीर्षक 8448-''स्थानीय नि धयों की जमा'' 120 अन्य नि धयों के अन्तर्गत वैयक्तिक लेखा खाता के माध्यम से कये जाने की व्यवस्था है। उक्त लेखा शीर्ष के द्वारा वधायक वकास नि ध की धनरा श के संचालन हेतु महालेखाकार, उत्तराखण्ड के प्रा धकार पत्र की अलग से आवश्यकता नही है न ही इसका नवीनीकरण वांछित है। उक्त वैयक्तिक लेखा खाते में जमा धनरा श वत्तीय वर्ष के अन्त मे लैप्स नहीं होती। सरकारी वभाग के वैयक्तिक लेखा खाते मुख्य लेखा शीर्षक- 8443 स वल जमा के अधीन लघु शीर्षक-106- निजि जमा के अन्तर्गत खोले जाने के निर्देश हैं।

जिला वकास अ धकारी चमोली के अ भलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया क नवम्बर 2017 में लेखा शीर्षक 8448-स्थानीय नि धयों की जमा-120 अन्य नि धयां में ` 29.97 करोड़ का शेष था जिसमें ` 13.69 करोड़ का शेष वधायक वकास नि ध के इतर अन्य वभागों का शा मल था जो क शासकीय निर्देशों के अनुरुप नहीं था। उक्त लेखा शीर्ष में अन्य वभागों की रा श का वभागवार निम्नवत था-

क्रमांक	वभाग का नाम	अवशेष में शा मल रा श (` में)
1	युवा कल्याण वभाग	1,69,000
2	जिला कार्यक्रम अ धकारी	39,39,028
3	ऋ षकेश-कर्णप्रयाण रेल लाईन परियोजना	13,27,94,972
	योग	13,69,03,000

उक्त के सम्बन्ध में इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क उच्चा धकारियों के निर्देशानुसार वभागों द्वारा सीधे धनरा श जमा की जाती हैं। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्यों क लेखाशीर्ष-8448 स्थायी नि धयाँ, 120-अन्य नि धयाँ वधायक वकास नि ध हेतु ही स्वीकृत है क्यों क इस लेखा शीर्ष की रा श वर्ष के अन्त में लैप्स नहीं होती।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर-1 मनरेगा नि ध के अंतर्गत 4814 निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना।

कार्यालय के अंतर्गत मनरेगा नि ध से कराये जा रहे निर्माण कार्यों को दो से छः माह में पूर्ण करा लया जाना चाहिए जिससे उनका लाभ क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो सके।

इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क वत्तीय वर्ष 2014-15 के 04 कार्य, वत्तीय वर्ष 2015-16 के 149 कार्य और वत्तीय वर्ष 2016-17 के 4661 कार्य अपूर्ण थे। जिसका क्षेत्रपंचायतवार ववरण इस प्रकार हैः-

क्रम सं.	क्षेत्र पंचायत	2014-15 के अपूर्ण कार्य	2015-16 के अपूर्ण कार्य	2016-17 के अपूर्ण कार्य
1	दसौली	2	62	924
2	देवल	0	5	512
3	गैरसेन	0	4	538
4	घाट	1	26	614
5	जोशीमठ	0	13	382
6	कर्णप्रयाग	1	18	1110
7	नारायणबगड़	0	17	219
8	पोखरी	0	2	291
9	थराली	0	2	71
	योग	4	149	4661

इसे इं गत कए जाने पर इकाई के द्वारा बताया गया क वर्ष 2014-15 के 04 कार्य पूर्ण है परंतु तकनीकी समस्या के कारण एम.आई.एस. से निस्तारित नहीं हो पा रहा है तथा कुछ कार्य भौतिक रुप से पूर्ण है पर सामग्री अंश का भुगतान न होने के कारण अपूर्ण दर्शाये जा रहे हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इकाई के द्वारा कार्यों को भौतिक रुप से पूर्ण होने के सापेक्ष कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर-2 इकाई के द्वारा मनरेगा नि ध के ` 52,729/- के वलम्बित मुआवजे की धनरा श को संबन्धित कर्मचारियों से वसूली न कया जाना ।

मनरेगा नि ध के दिशा-निर्देशों के पैरा 2.8 के अनुसार मजदूरी प्राप्तकर्ता मस्टररोल बंद होने के 16 वें दिन से 0.05% की दर से वलम्बित मुआवजे के भुगतान का हकदार होगा। जिसकी वसूली संबन्धित क र्मयों/एजें सयों से की जाएगी।

इकाई के द्वारा शासकीय खाते से वलम्बित मुआवजे के भुगतान का ववरण निम्नवत है:-

(धनरा श रु. में)

वत्तीय वर्ष	वलम्बित मुआवजा	शासकीय खाते से कया गया भुगतान	लंबित मुआवजा
2015-16	16099	16099	0
2016-17	120165	119503	662
2017-18	58891	50109	8782
योग	1,95,155	1,85,711	9,444

इस प्रकार कुल वलंबित मुआवजा रु. 1,95,155/- के सापेक्ष रु. 1,85,711/- का भुगतान शासकीय खाते से कर दिया गया तथा रु. 9,444/- का भुगतान लंबित है।

इसे इं गत कए जाने पर इकाई के द्वारा बताया गया क शासकीय खाते से कए गए वलंबित मुआवजे रु. 1,95,155/- के सापेक्ष रु. 1,42,426/- धनरा श की वसूली संबन्धित कर्मचारियों से की जा चुकी है शेष धनरा श रु. 52,729/- को अ वलंब शासकीय खाते मे जमा करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-III

(क)- परिचयात्मकः कार्यालय जिला वकास अधिकारी, चमोली के माह 02/2017 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सतेन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री हिमांशु शर्मा, स.ले.प.अ., श्री राजवेश भट्ट, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14-12-2017 से 26-12-2017 तक श्री एस के त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

(ख) वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण -

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
375/2005-06	01,02,03,04	1,2
115/2006-07	-	01,02
103/2007-08	-	01,02
15/2014-15	01,02	-
95/2016-17	-	01,02

(ग) वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला वकास अ धकारी, चमोली तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	अव ध
01	श्री आनंद संह	14/10/2016 से अब तक

लघू एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर कार्यालय जिला वकास अ धकारी, चमोली, उत्तराखण्ड, को इस आशय से प्रे षत की जायेगी क वे इसकी अनुपालन/टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाये|

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
स्थानीय निकाय